

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 96 / 2014  
संस्थान दिनांक 19.02.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

रामलाल पिता जामसिंह, आयु 50 वर्ष  
निवासी-ग्राम जुनापानी, तहसील अंजड़  
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 08.05.2015 को घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 42 / 2014 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 19.02.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 14.02.2014 को समय 18:30 बजे, अभियुक्त के मकान के पीछे ग्राम जुनापानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 09 लीटर भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2014 को सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. मण्डलोई को देहात भ्रमण के दौरान ग्राम जुनापानी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रामलाल अपने मकान में अवैध रूप से कच्ची मदिरा एक प्लास्टिक की केन में रखकर विक्रय कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान गुलाबसिंह एवं छगन को तलब कर सूचना से अवगत कराकर हमराल लेकर रामलाल के रिहायसी मकान पहुँचे जहाँ रामलाल पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे मय प्लास्टिक की केन के

पकड़ा। केन को खोलकर चेक करने पर कच्ची महुँआ मदिरा लगभग 09 लीटर भरी होना पाई। अभियुक्त से मदिरा रखने के संबंध में अनुज्ञा पत्र पूछने पर नहीं होना बताया। सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. मण्डलोई ने अभियुक्त रामलाल से कच्ची महुँआ मदिरा लगभग 09 लीटर जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया। साक्षियों के समक्ष अभियुक्त रामलाल को गिरफ्तारी कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। तथा तत्पश्चात् सहायक उपनिरीक्षक आर.एस.मण्डलोई द्वारा अभियुक्त एवं मदिरा को लेकर थाने आया तथा थाने का अपराध क्रमांक 42/2014 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 5 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 14.02.2014 को समय 18:30 बजे, अभियुक्त के मकान के पीछे ग्राम जुनापानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी मदिरा लगभग 09 लीटर भरी रखे हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गुलाबसिंह (अ.सा.1), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.2), छगन (अ.सा.3) एवं सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई अ.सा. 4 ने बताया कि दिनांक 14.02.2014 को थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम जुनापानी में मदिरा का अवैध विक्रय कर रहा है। सूचना पाकर वह पंच गुलाबसिंह एवं छगन को बुलाकर

सूचना से अवगत कराकर तथा उन्हें मुखबिर के बताये स्थान पर ले गये जहाँ अभियुक्त को मय मदिरा केन भरी हुई पकड़ा। केन को सीलबंद कर जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उसने साक्षीगण गुलाबसिंह एवं छगन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त को मदिरा सहित थाने पर लाकर अपराध क्रमांक 42/14 प्रदर्शपी 5 का अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम जुनापानी अंजड़ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे ग्राम जुनापानी में सूचना मौखिक रूप से मिली थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मदिरा की जाँच नहीं की थी लेकिन चखकर देखा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने छगन एवं गुलाबसिंह के समक्ष अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी अथवा उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

8. आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान अ.सा. 2 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 42/14 में एक प्लास्टिक की केन में जप्त तरल पदार्थ को सुंघकर, चखकर व लिटमस पेपर डालकर उसका परीक्षण करने तथा जाँच के आधार पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाये जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने तरल पदार्थ को वापस सीलबंद किया था। अपने जाँच प्रतिवेदन सहित आरक्षक रामकिशोर के सुपुर्द किया। साक्षी ने जाँच प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 भी प्रमाणित किया हैं बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मदिरा जाँच का 7 वर्ष का अनुभव है। उसने विभागीय परीक्षण प्राप्त किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 3 में बी से बी भाग पर कांट-छांट की गई है तथा प्रदर्शपी 3 में ए से ए भाग पर हस्ताक्षर को छोड़कर शेष लिखावट उसकी नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने जप्त मदिरा की जाँच नहीं की थी।

9. गुलाबसिंह अ.सा.1 एवं छगन असा 3 अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त मदिरा जप्त करने के साक्षीगण हैं, लेकिन दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा दोनों ही साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने समस्त सुझावों से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है।

10. ऐसी स्थिति में जबकि सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई अ.सा. 4 द्वारा जप्त की गई मदिरा की नाप नहीं की गई। यहाँ तक कि नफीस एहमद खान अ.सा. 2 ने भी उक्त मदिरा की नाप करने से इंकार किया है। यहाँ तक कि जिस पत्र के माध्यम से नफीस एहमद खान ने मदिरा जाँच की थी वह भी अभियोजन की ओर से पेश नहीं किये गये हैं। जप्ती पंचनामे के

दौनों साक्षियों ने अभियुक्त के पास से प्रदर्शपी 1 के अनुसार मदिरा जप्त होने से स्पष्ट किया है तो स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है तो अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्त को इस अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त रामलाल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त रामलाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की केन में 09 कच्ची हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी